भगवान बनाम इकराम अली

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या ...19/50

23.09.2019	पत्रावली पेश हुई । अवमानना प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अवमानना प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 04.01.2019 को स्थगन आदेश पारित किया गया है और अप्रार्थीगण को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए निर्देशित किया गया था परन्तु अप्रार्थीगण ने दिनांक 04.01.2019 के पश्चात् मौके पर प्रार्थी की ईटों की दीवान को नष्ट किया है और मौके पर कब्जा करने के आशय से पत्थर एवं कातले डाल दिये हैं जिसकी पुष्टि पेश किये गये फोटोग्राफ्स से होती है । प्रार्थी के द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में फोटोग्राफ्स् प्रदर्श– ए–4, ए–5, ए–6, ए–7, ए–8, ए–9, ए–10, ए–11, ए–12 एवं ए–13 पेश किये गये हैं । इसके अलावा उनके द्वारा बयान हेमपाल आत्मज भगवान कराये गये हैं । अप्रार्थी के गवाह ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि प्रदर्श ए–4 में भगवान के मकान के आगे पत्थर पडे हैं । यह कहना गलत है कि ये पत्थर इकराम ने डाले हों । यह बात सही है कि प्रदर्श–ए–6 में दीवार नजर नहीं आ रही है । यह बात सही है कि इकराम वगै0 ने भगवान के मकान के पीछे दरवाजे को कातले लगाकर बन्द कर दिया है । इस प्रकार अप्रार्थी ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने न्यायालय के आदेश दिनांक 04.01.2019 की अवहेलना नहीं की है। अप्रार्थी के द्वारा जो फोटोग्राफ्स् पेश किये गये हैं उसमें कातले एवं अन्य सामग्री स्वयं प्रार्थी की है । प्रार्थी ने परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपील में इस न्यायालय के द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है । अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी अपीलान्ट के द्वारा मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि दिनांक 04.01.2019 के स्थगन आदेश के बावजूद अप्रार्थी ने प्रार्थी की ईंट की दीवार को तोडकर नष्ट किया है और कब्जा करने के आशय से पत्थर एवं कातले डाल दिये हैं । अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा कुछ फोटो पेश किये गये हैं जो प्रदर्श– ए–4, ए–5, ए–6, ए–7, ए–8, ए–9, ए–10, ए–11, ए–12 एवं ए–13 के रूप में लगे हुए हैं । इन फोटोग्राफ्स में कुछ कातले पत्थर जमीन पर पडे हुए हैं । प्रदर्श– ए–10 में एक दीवार बने हुई है जो प्रदर्श– ए–11 में नहीं है परन्तु इन फोटोग्राफ्स के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि इस न्यायालय के स्थगन आदेश जिस वादग्रस्त आराजी के बाबत् दिया गया था उस पर अप्रार्थी ने स्थगन आदेश

के बाद कोई निर्माण कार्य किया है पत्थर या कातले डाले हैं और दीवार को तोडा है । इस तरह के कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपील का निस्तारण भी इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.08.2019 को किया जा चुका है । इस प्रकार प्रार्थी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कर पाये हैं । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा